

उत्तराखण्ड में अतिक्रमण वरिधी अभियान

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखण्ड के हलदवानी के बनभूलपुरा इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हसिक झड़प हो गई, जब ज़िला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम ने इलाके में एक 'अवैध मदरसे' को ध्वस्त करने का प्रयास किया।

- **देखते ही गोली मारने के आदेश (Shoot-at-sight)** जारी किये गए और कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया।

मुख्य बद्दि:

- अधिकारियों के मुताबकि, न्यायालय के आदेश के बाद ज़िला प्रशासन की एक टीम इलाके में **अतिक्रमण वरिधी अभियान** चलाने गई थी।
 - तभी कुछ उपद्रवियों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, जिसमें कई पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हो गए।
- बनभूलपुरा वही इलाका है जहाँ सैकड़ों मुस्लिम परिवार रेलवे ट्रैक के किनारे 2 कि.मी की दूरी में रह रहे हैं, उन्हें अनश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रेलवे ने उन्हें बेदखली का नोटिस दिया है, **क्योंकि उनके घर रेलवे की ज़मीन पर बने हैं।**
- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश के खिलाफ हफ्तों के वरिधी के बाद, नवासियों ने बाद में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और यह मामला वचिराधीन है।

वचिराधीन

- वचिराधीन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "नरिणय के अधीन" या "न्यायालय द्वारा वचिराधीन।"
- कानूनी संदर्भों में, यह एक ऐसे मामले को संदर्भित करता है जो वर्तमान में न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसलिये सार्वजनिक चर्चा या टपिपणी हेतु उपलब्ध नहीं है।
- वचिराधीन नयिम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **भुकदमा या सुनवाई नषिपक्ष** हो और इसमें शामिल पक्ष बाहरी प्रभावों से पूरवाग्रहग्रस्त न हों।